

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर

(Phone: 05642-294300 Help Line, E-mail- dlsa13dholpur.com)

क्रमांक :- 1517

दिनांक :- 12-3-26

—:विज्ञप्ति:-

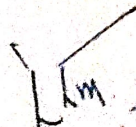
माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ-7(136)/रालसा/संस्था/संविदा सेवा-वाहन/2026/156 दिनांक 10.03.2026 के निर्देशानुसार राजस्थान सरकार, विधि विभाग की आज्ञा संख्या प.08(1) विधि-2/विरसं (64) /2015 पार्ट II-175055 दिनांक 03.02.2026 के अनुसरण में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती होने में विलम्ब की संभावना होने एवं तत्कालिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में राज्य सरकार के विभागों/पीसएयू से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर, अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समितियाँ एवं स्थाई लोक अदालत, धौलपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा सेवाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 (दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 31.03.2027 तक अथवा नियमित भर्ती होने तक, जो भी पहले हो) हेतु निम्नानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों के विरुद्ध सेवानिवृत्त कार्मिक की प्रतिनियुक्ति पर सेवाएँ निम्नानुसार ली जानी हैं:-

क्र. सं.	पद	कार्यालय	रिक्त पदों की संख्या
01	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर	04
02		स्थायी लोक अदालत, धौलपुर	02
03		ताल्लुका विधिक सेवा समिति बाड़ी	01
04		ताल्लुका विधिक सेवा समिति राजाखेड़ा	01
कुल			08

शर्त:-

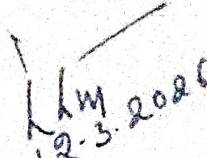
- उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप वेतन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के निर्देशानुसार देय होगा।
- उक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाएँ राज्य सरकार एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के अधीन प्रभावी रहेगी। उक्त सेवाएँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, स्थाई लोक अदालत एवं अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समितियों में रिक्त पदों के अनुसार ली जावेगी।
- कार्मिक को नियुक्ति के समय नियमानुसार सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अतः सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित शर्तों पर सेवाएँ देने वाले इच्छुक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिनांक 19.03.2026 को कार्यालय समय सायं 5:00 बजे तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।


12.3.2026

आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक है:-

- अन्तिम भुगतान प्रमाण पत्र (एलपीसी) की प्रति
- विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण-पत्र (प्रारूप संलग्न है)


12-3-2026
सचिव

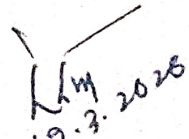
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
धौलपुर (राज0)५

क्रमांक:- 1509-16

दिनांक:- 12-3-2026

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

- 1 श्रीमान सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
- 2 श्रीमान अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), धौलपुर।
- 3 श्रीमान जिला कलक्टर, धौलपुर को समस्त विभागों में सूचित करने हेतु।
- 4 धौलपुर न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों को जरिये ई-मेल नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 5 सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
- 6 जिला जनसंपर्क अधिकारी, धौलपुर।
- 7 सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, धौलपुर को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 8 नोटिस बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर।
- 9 आदेश संबंधित पत्रावली।


12-3-2026
सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
धौलपुर (राज0)५

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर

॥ राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को विपरीत प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं लेने के लिए आवेदन-पत्र ॥

- 1 कर्मचारी का नाम :
- 2 पिता/पति का नाम :
- 3 जन्म तिथि :
- 4 पूर्ण पता :
- 5 अर्हताएं :
- 6 मूल विभाग का नाम :
- 7 धारित पद :
- 8 अनुभव :
- 9 मूल वेतन :

(रनिंग पे बेण्ड वेतन + ग्रेड पे/पे-लेवल)

(एलपीसी संलग्न है)

10. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र :

(संलग्नानुसार है)

विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु सं. 01 से 09 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती.....पुत्र/पत्नी..... जो पद पर इस विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती.....की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील

12-3-2026